



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की मंगलवार, दिनांक 09.06.2015 को समय पूर्वान्ह 12.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
1.	शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	बी.काम प्रथम वर्ष सीट वृद्धि	289 (पूर्व सीट सं.-189, वृद्धि-100)	2014-15	1. प्रो. आर.पी. दास, विश्वविद्यालय प्रबंधन संस्थान 2. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, शास. जी.एन.ए. महा. भाटापारा 3. प्रो. एस.सी. नैथानी, जीव विज्ञान अध्ययनशाला 4. प्रो. रोहिणी प्रसाद, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 5. प्रो. भगवंत सिंह, दर्शन शास्त्र अध्ययनशाला	निरीक्षण तिथि :- 25.04.2015 Adequate facilities are available to run the programm. Since already Government has approved and adequate facilities are available, we recommend the enhancement of seats.
		एम.काम. पूर्व - सीट वृद्धि	50 (पूर्व सीट सं.-45, वृद्धि-5)			
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष सीट वृद्धि	220 (पूर्व सीट सं.-192, वृद्धि-28)			
		बी.ए. प्रथम वर्ष सीट वृद्धि	300 (पूर्व सीट सं.-228, वृद्धि-72)			
		नवीन विषय एम.एस-सी. पूर्व वनस्पति शास्त्र	15	2015-16	1. प्रो. एस.सी. नैथानी, जीव विज्ञान अध्ययनशाला 2. डॉ. ए. गिरोलकर, प्राचार्य, शास. दू. ब. महिला पीजी महावि. रायपुर	All the facility for running M.Sc. Previous Botany with 15 Seats are satisfactory and adequate as per the following details : Highly satisfactory and strongly recommended. 1. Laboratory facility adequate. 2. The concerned books and their multiple numbers are satisfactory. 3. Adequate faculty i.e. one Professor and two Assistant Professor. 4. Adequate instruments.
	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1981-82					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
2.	आदर्श महाविद्यालय दतरंगा, रायपुर	बी.काम.-I	60	2015-16	1. प्रो. एम.डब्ल्यू. वाय. खन, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय 2. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय 3. डॉ. संजय कुमार, अध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला 4. प्रो. ओ.पी. चंद्राकर, आचार्य वाणिज्य विभाग, शास. महा. भाटापारा	निरीक्षण तिथि :- 02.05.2015 With ref. to letter No. 3262/Acad/2015 Raipur dated 07-04-2015 the committee visited & inspected the Adarsh Mahavidyalaya for BCom (60 Seats), PGDCA (40 seats), DCA (40 seats). The College is proposed to start in the Adarsh Nursing College Building at 1st Floor, initially. Infrastructure is sufficient. Library is common for all courses. For books of proposed courses, orders have been placed. No. of Computers is sufficient, Licensed software have to be purchased. Teachers & Principal as per the University Norms need to be appointed.
		पी.जी.डी. सी.ए. डी.सी.ए.	40 40			
<p>नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन का आदेश - एफ 17-02/2015/38-2 दिनांक 31.01.2015</p>						
3.	प्रतिभा फूलझर कॉलेज, ग्राम-बालसी, तह. -सरायपाली, जि.-महासमुंद	बी.काम.-I	60	2015-16	1. प्रो. आर.पी. दास, वि.वि. प्रबंधन संस्थान 2. प्रो. रोहिणी प्रसाद, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, शास. जी.एन.ए. महा. भाटापारा	निरीक्षण तिथि :- 14.05.2015 बी.काम. भाग-1 (60 सीट), तथा बी. काम. कम्प्यूटर (30 सीट) हेतु कमरों की संख्या पर्याप्त है। तथा 15 कम्प्यूटर भी थे। शिक्षक नहीं है। प्राचार्य भी नहीं है। पुस्तकालय में संबंधित विषयों की पुस्तकें नहीं है। एतदर्थ शिक्षक, प्राचार्य तथा पुस्तकें पर्याप्त क्रय करने एवं नियुक्त करने की शर्त पर मान्य किया जा सकता है।
		बी.काम. - I कम्प्यूटर	30			
<p>नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन का आदेश पृ. क्र. 17-22/2015/38-2 दिनांक 31.01.2015</p>						
04	सी.आई.टी. कालेज, पार्रीनाला, जी. ई. रोड, राजनांदगांव	बी.बी.ए. - I	20	2015-16	1. प्रो. एम.डब्ल्यू. वाय. खन, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय 2. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय 3. डॉ. एम.आई. मेमन, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बालोद	निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015 With reference to the University letter No. 3581/Acad./2015 Dt. 20th May-2015 the committee conducted the inspection of CIT College, Rajnandgaon on 26th May 2015 and observed the following :- 1. That the said College has sufficient infrastructure facilities to run B.B.A. (20 seats), B.Sc. (40 seats), B.Com (40 seats). 2. In the Library and Laboratory (Books nad Equipments) facilities are partially fulfilled. 3. The appointment of Principal and Teachers U/s. 28 has to be made. 4. The secretary of the society has given a declaration to fulfill all the shortcoming just after getting the affiliation.
		बी.एस-सी-I	40			
		बी.काम. - I	40			
<p>नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन का आदेश पृ. क्र. - 17-19/2015/38-2 दिनांक 31.01.2015</p>						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
05	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष रसायन, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान	40	2015-16	1. प्रो.के.एस. पटेल, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला 2. डॉ.एस.सी. नैथानी, बायोसाइंस अध्ययनशाला 3. डॉ. रेणु माहेश्वरी, शास. नागार्जुन विज्ञान महावि. रायपुर	<p>निरीक्षण तिथि :- 05.06.2015</p> <p>The committee visited Pt. Harishankar Shukla Smriti College, Raipur on June 4, 2015 and observed following:</p> <ol style="list-style-type: none"> The College has applied for B.Sc.- Bio- First year (40 Seats), B.Sc. Maths-I year (40 seats) and DCA (20 Seats). The total land area of the College is 30126 Sq.ft. with total 25 rooms. The college has well furnished class room, seminar hall and auditorium. The number of Books for each subject (B.Sc.- Bio, Maths & DCA) are under process of purchase (PO attached). The committee has recommended some standard and new edition that are required. Presently the college has well equipped computer laboratory still 10 more computers are required. The college has partly unfurnished laboratories. The process of purchase of various laboratory equipments is under process as indicated by the attached P.O. Teacher for B.Sc. Bio, Maths and DCA are presently not recruited but as per the letter addressed to Deputy Registrar (No. 893/HSS Dated 7-3-15) the process is for the appointment in underway. The committee recommends one teacher of computer Science in DCA. Appointment of one teacher in each of the subject Physics, Chemistry, Mathematics, Biology & Zoology is required to run B.Sc. (Maths Group) 40 seats and B.Sc. (Bio Group) 40 seats.
		बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष रसायन, भौतिकी, गणित	40		4. प्रो. आर.एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला 5. डॉ. अमिताभ चटर्जी, शासकीय महावि. नगरी सिहावा	
		डी.सी.ए.	20		6. डॉ. संजय कुमार, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अ.शा.	
<p>महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1994-95 शासन का आदेश - 17-06/2015/38-2 दिनांक 31.01.2015</p>						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
						<p>8. Books for the subjects - Physics, Chemistry, Mathematics, Biology & Zoology are insufficient Books for each subject most be purchased in proportion to the strength books for DCA 20 seats are also required.</p> <p>9. Lab equipment/glassware/ apparatus needs to be purchased & stalled in proportion to the strength of the students for Physics, Chem, Bot. & Zoology labs.</p>
6	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज, महाराजा भिमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर	बी.काम. अनिवार्य विषय	सीट वृद्धि-60 पूर्व सीट-60 कुल-120	2015-16	1. डॉ. पी.सी. अग्रवाल, प्राचार्य, शासकीय जे. योगानंदमछत्तीस गढ़ महाविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. संजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, कम्प्यूटर अ.शा. पं. र.शु.वि. वि. रायपुर	<p>निरीक्षण तिथि :- 06.06.2015</p> <p>पत्र क्रमांक 3756/अका./2015 दिनांक 05.06.2015 के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 06.06.2015 को महाराणा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज, समता कालोनी का निरीक्षण लिया और पाया कि -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. वाणिज्य में 1 तथा कम्प्यूटर विषय में 2 शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अंतर्गत की जावे। 3. वाणिज्य विषय में 100000/- तथा कम्प्यूटर विषय में 20,000/- रुपये की पुस्तकें ग्रंथालय में क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 4. महाविद्यालय की कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 20 और कम्प्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है। 5. लाइसेन्सड सॉफ्टवेयर की Renew (नवीनीकरण) करवाने की आवश्यकता है। <p>बी.काम. अनिवार्य विषय -60 सीट वृद्धि की पात्रता उपरोक्त को पूर्ण करने पर है।</p> <p>बी.काम. कम्प्यू.एप्लि. -30 सीट वृद्धि</p> <p>पी.जी.डी.सी.ए. -30 सीट वृद्धि की पात्रता उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने पर है।</p>
महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 2006-07						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
7	सर्वतोमुखी समाधान कालेज, बेरला रोड, फरी, बेमेतरा (छ.ग.)	B.B.A. -II B.Com. - II- (Compulsory Subject with Computer Application) B.C.A. - II	30 30 30	2013-14	1. प्रो. आर.पी. दास, विश्वविद्यालय प्रबंधन संस्थान 2. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर अध्ययनशाला 3. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, शास. जी.एन.ए. महा. भाटापारा	निरीक्षण तिथि :- 08.05.2015 <ul style="list-style-type: none"> The College has sufficient infrastructure in terms of the - Building, Class rooms, furniture, land etc. Non faculty appointed under college code 28 but the college has no permanent principal. The college has 30 PCs but needs 15 more. Licensed Software are to be purchased as per syllabus. Books worth Rs. 12,000 are to be purchased for B.B.A., B.Com. & B.C.A. Courses.
महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 2012-13 शासन का आदेश क्र. 322/आउशि/अशै.प्र./2015 दिनांक 12.03.2015						

03. बागबहरा शिक्षा समिति द्वारा पूर्व में संचालित यतन महिला महाविद्यालय, महासमुंद की सम्बद्धता समाप्त करने के संबंध में विचार करना।
 टीप : बागबाहरा शिक्षा समिति द्वारा पूर्व में संचालित यतन महिला महाविद्यालय, महासमुंद को पत्र दिनांक 07.07.2007 के अंतर्गत परिनियम 28 का पालन न होने के कारण प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। महाविद्यालय के द्वारा वर्ष 2007-08 से संचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिये जाने की जानकारी देते हुए सम्बद्धता समाप्त करने के संबंध में आवेदन दिनांक 30.04.2015 प्रस्तुत किये हैं।
 कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2009 के निर्णयानुसार परिनियम 28 का पालन नहीं किये जाने के कारण आदेश क्र. 6425/अका./चयन/2009 दिनांक 16.06.2009 के द्वारा सत्र 2009-10 में प्रवेश प्रतिबंध किया गया था।
 यतन महिला महाविद्यालय, महासमुंद की सम्बद्धता समाप्त करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत।
04. प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समय-सीमा में वृद्धि के संबंध में विचार करना।
 टीप : प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, माना, रायपुर को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2013 के निर्णयानुसार एक वर्ष के लिए स्थान परिवर्तन कर प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर में संचालित करने की अनुमति सशर्त प्रदान की गई थी।
 महाविद्यालय के आवेदन दिनांक 01.04.2015 के अनुसार नया रायपुर क्षेत्र का विकास नहीं होने एवं स्थिति पूर्ववत् होने के कारण छात्रों का प्रवेश बहुत कम होता है, जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। अतएव शासन के पूर्व आदेशानुसार महाविद्यालय को "आशीर्वाद टावर, जयस्तंभ चौक, रायपुर" में ही संचालित करने हेतु पूर्व में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2013 के निर्णय के आधार पर दी गई अनुमति में पुनः वृद्धि के संबंध में प्रस्तुत है। पुराने भवन में अन्य शैक्षणिकोत्तर जैसे Skill Development, Vocational Training एवं Sports की गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाने की सूचना महाविद्यालय द्वारा दी गई है।

05. सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट देवादा, राजनांदगांव के शासी निकाय के द्वारा सत्र 2015-16 के लिये बी.एड्. पाठ्यक्रम को शून्य किये जाने के निर्णय पर विचार करना।
टीप : सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट देवादा, राजनांदगांव के शासी निकाय के द्वारा सत्र 2015-16 के लिये बी.एड्. पाठ्यक्रम को शून्य किये जाने के निर्णय दिनांक 25.04.2015 के अनुसार महाविद्यालय प्रबंधन ने परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त 5 शिक्षकों को सेवा समाप्ति के लिए 3 माह की अग्रिम सूचना पत्र क्र. C.I.I/ 482/2015 दिनांक 01.05.2015 दी गई है।
06. इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, स्टेशन रोड महासमुंद को एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा जारी Order for shifting of premises का पत्र क्र. WRC/QPW04626/723112 (shifting for premises)/215th /2015/131872 Date 24/26-02-2015 के संबंध में किये गए पुनः निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना।
टीप : इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, स्टेशन रोड महासमुंद के स्थान परिवर्तन में संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015 को पुनः निरीक्षण किये जाने की अनुशंसा की गई थी। निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संलग्न है।
07. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3671 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 28/05/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आवश्यक बैठक गुरुवार, दिनांक 28.05.2015 पूर्वाह्न 12.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
4.	डॉ. सी.डी. अगासे	-	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
6.	डॉ. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
7.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
8.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015 एवं 08.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015 एवं 08.05.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार बी.एड. पाठ्यक्रम 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय निम्नानुसार है :-

बी.एड.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	रामचण्डी महाविद्यालय सरायपाली बगाईजोर, सरायपाली, जिला-महासमुंद	बी.एड.	निरीक्षण तिथि :- 23.05.2015 रामचण्डी महाविद्यालय सरायपाली का निरीक्षण किया गया। NCTE Regulation 2014 के संलग्न परिशिष्ट 4 के अर्हताओं को (बी.एड. की कक्षाओं को प्रारंभ करने को) पूर्ण करता है। सत्र 2016-17 के लिये सम्बद्ध प्रपत्र संलग्न है। N.O.C. देने में कोई आपत्ति नहीं है। N.O.C. दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
2.	रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पिथौरा (श्रम सृजन समाजसेवी संस्था)	बी.एड.	निरीक्षण तिथि :- 23.05.2015 रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पिथौरा का निरीक्षण किया गया। NCTE Regulation 2014 के संलग्न परिशिष्ट 4 की अर्हताओं को (बी.एड. हेतु 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु) पूर्ण करता है। N.O.C. दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
3.	विद्यापीठ कालेज, दुर्ग (दाऊ परमानंद अग्रवाल मेमोरियल) लक्ष्मीनारायण महाराज ट्रस्ट किला मंदिर दुर्ग	बी.एड.	<u>निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015</u> The committee Constituted of the following member for the inspection of "Vidyapeeth" College (Dau Parmanand Agrawal Memorial), Durg for the approval of NOC for the B.Ed. Course scheduled for the academic session 2016-17, Visited the college on 25-5-15. The members inspected the College and found all the infrastructure as per the norms and standard laid down by NCTE Regulation 2014, Clause 4, adequate and satisfactory. Hence, the committee members unanimously recommend the NOC for B.Ed. course in "Vidyapeeth" College, Durg.	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
4.	छत्तीसगढ़ कालेज ऑफ एजुकेशन, पी.एच. नं.-28, ग्राम-धनोरा, पो.-हनोद, दुर्ग (दुर्ग एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसायटी)	बी.एड.	<u>निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015</u> The committee Constituted of the following member for the inspection of Chhattisgarh College of Education, Durg for the approval of NOC for the B.Ed. Course scheduled for the academic session 2016-17, Visited the college on 25-5-15. The members inspected the College and found all the necessary infrastructure as per the NCTE Regulation 2014, Clause 4, Norms and standard adequate and satisfactory. Hence, the committee members unanimously recommend the NOC for B.Ed. course in Chhattisgarh College of Education, Durg.	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
5.	संचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुंठ, जिला-रायपुर	बी.एड.	<u>निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015</u> Century Cement College in run by century Cement Company. It is located in the township of the Company. At present the College conducts PGDCA, BCA, B.Com., M.Com Now, the College has applied to conduct B.Ed. course for which the NOC is sought by the college. The visiting team constituted by Pt. Ravishankar Shukla University has visited and inspected the College on points of Annexure 4. The college wish to	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
			conduct the B.Ed. Course in the same building in which the other course are running. The preliminary observation of the team is that the college has sufficient rooms to conduct the program. For other infrastructure and amenities, the Secretary of the society has given a declaration of assurance to fulfill the norms of standards of NCTE Regulations 2014. Based on the declaration, the committee suggest to permit the college to run B.Ed. course of one unit. Hence, NOC may be issued.	
6.	ए.व्ही.एस. प्रेसीडेन्सी इन्टरनेशनल कालेज, माना, रायपुर	बी.एड.	निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015 महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। बी.एड. हेतु भवन का निर्माण नहीं हुआ है। मात्र जमीन है। जिसमें भवन मार्च 2016 तक निर्माण किये जाने की बात शपथ पत्र में की गयी है। भवन ना होने के कारण समिति यह स्पष्ट अनुशंसा करती है कि बी.एड. हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं दिया जा सकता। क्योंकि NCTE Regulation 2014 के परिशिष्ट 4 की शर्तों को पूर्ण नहीं करता।	31 मार्च, 2016 तक भवन निर्माण पूर्ण करने के लिए दिए गए शपथ पत्र के आधार पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

03. निम्नलिखित 3 महाविद्यालयों द्वारा बी.एड. के लिए अनापत्ति जारी किये जाने हेतु निरीक्षण संबंधि कार्यवाही नहीं की है -

1. मंगल दुबे मेमोरियल समिति डुंगाजी कालोनी, रायपुर (दि रेडियंट वे कालेज, रायपुर)
2. श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद)
3. श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति रायपुर

निर्णय : मंगल दुबे मेमोरियल समिति डुंगाजी कालोनी, रायपुर (दि रेडियंट वे कालेज, रायपुर) एवं श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति रायपुर महाविद्यालय द्वारा दिनांक 29 मई, 2015 तक निरीक्षण कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें प्रतिवेदन के आधार अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जा सकती है।

श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं अध्यक्ष के अनुमति से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार एम.एड्. पाठ्यक्रम 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय निम्नानुसार है :-

एम.एड्.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	एम.जे. कालेज, कोहका-जुनवानी रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग	एम.एड्.	<p>निरीक्षण तिथि :- 19.05.2015</p> <p>With reference to university letter no. 3536/Acad/2015 dated 12-05-2015 the committee inspected the M.J. College on 19-05-2015 and observed the followings:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. That the B.Ed. Course in the MJ College is continuing since 2006 and it has completed around nine years. 2. That B.Ed. course in this college is functioning in TWO units. List of teachers attached. 3. That College is accredited by NACC in B Grade (2.32) by 7th meeting of standing Committee held on 11th May 2015. (Copy Attached) 4. That B.Ed. Course in MJ College is affiliated to Pt. Ravishankar Shankar Shukla University since its inspection and at present it fulfils the necessary conditions. (For which principal has submitted an affidavit) 5. That the MJ College fulfils the necessary infrastructure facilities, civic amenities, Labs, Resource centre etc to start M.Ed Programme. However the following deficiencies have yet to be removed: <ol style="list-style-type: none"> i. Books and journals as specified by NCTE for M.Ed programme has to be completed. Even though the principal informed that an order to purchase these books and journals has already been placed. ii. Arrangement of separate cabins for teachers is yet to be made. The principal informed and attached an undertaking that a big hall will be converted into cabins very soon. <p>In view of the above observations the committee is of the opinion that NOC for the M.Ed. course may be given subject to further Inspection before the affiliation of M.Ed. Programme.</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2.	जी.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई, जिला-दुर्ग	एम.एड.	<u>निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015</u> G.D. Rungta College is located in Kohka, Durg. The Visiting team constituted by Pt. Ravishankar Shukla University has visited the College and inspected the college for issue of NOC to conduct M.Ed. Program as per the new regulations of NCTE, 2014. The College has sufficient infrastructure to conduct M.Ed. Course. The Library has at prompt 5000 books and further subscribed another 1500 books exclusively for M.Ed. subscription bills for National and 3 international journals were enclosed. The College is presently running B.Ed. program which has separate classrooms, a multipurpose hall and other required infrastructure. The multipurpose hall will be shared for both the B.Ed. and M.Ed. Programs. The College has applied for NAAC accreditation and the process is on. Hence there is no grade to mention till date. NOC may be issued by the University with a condition that the institute get a grade by NAAC before university gives affiliation to start M.Ed. course.	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
3.	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई	एम.एड.	<u>निरीक्षण तिथि :- 24.05.2015</u> The committee visited Bhilai Mahavidyalaya on 24.05.2015 and inspected the college for M.Ed. course the College is running B.Ed. Course since 2009-10 session successfully. Facilities for proposed M.Ed. course are as per affidavit (enclosed). The College has sufficient infrastructure to conduct M.Ed. programme, provided college fulfils verdict mentioned in their affidavit. Committee recommends for the issue of NOC for M.Ed. course.	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
4.	प्रेसियस कालेज आफ एजुकेशन, अभनपुर, जिला-रायपुर	एम.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015</p> <p>The Inspection committee comprised of Prof. R.P. Das, Prof. Bhagwant Singh & Prof. (Mrs.) M. Vani Subramaniam visited & Inspected the College at 11.30 a.m. on 25/5/2015. The committee observed that the college is running B.Ed. Course successfully. College is having regular faculties for B.Ed. Course. College is NAAC accredited. Fixed deposit of required amount is available in the college. Sufficient infrastructure is available. College has assured to develop other thing mentioned in the affidavit. Hence, committee recommends that the University may issue N.O.C. to start M.Ed. course w.e.f. 2016-17.</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
5.	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, आमापारा, रायपुर	एम.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015</p> <p>The committee inspected the Vipra College in 25-05-2015 for M.Ed. course. The college is running B.Ed. course since 2007 satisfactorily. The Facilities for proposed M.Ed. are partially available. Based on affidavit given by college Principal, committee recommends for the issue of NOC for M.Ed. course.</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
6.	काति दर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, कोसा नगर, भिलाई	एम.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015</p> <p>The committee consists of Prof. R.P. Das, Prof. Bhagwant Singh and Dr. M.Vani Subramaniam visited the college for issuing NOC to start M.Ed. Programme as per the New regulations of NCTE 2014. The college is running B.Ed. course, it is accredited by NAAC & has obtain B Grade. The college has construction area-5777 Square Mtr. Number of rooms required for Class Rooms for B.Ed and M.Ed. are existing as per NCTE norms FD worth Rs. 12 lacks are made by the college. However,</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
			<p>There is no librarian appointed under college code 28.</p> <p>International Journals don't exist in Library.</p> <p>Journal purchased invoices were not shown.</p> <p>Invoices shown for purchase of books were not in the name of Kanti Darshan College.</p> <p>OHP & PA system were not installed in the seminar Hall but kept in store room.</p> <p>Hence the committee recommends - NOC may be issued to the college subject to fulfillment of above deficiencies.</p>	

05. कांफ्लूएस कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव द्वारा नैक एक्कीडिशन के लिए आवेदन नहीं दिये जाने के कारण एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निरीक्षण करवाने में असमर्थता जाहिर की।

निर्णय : कांफ्लूएस कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव द्वारा नैक एक्कीडिशन के लिए आवेदन नहीं दिये जाने के कारण एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए निरीक्षण निरस्त करने की सूचना ग्रहण की गई।

06. इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बीए.-बी.एड., बी.एस.सी.-बी.एड.) प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों के आवेदन के संबंध में विचार करना।

1. ग्रेसियस कालेज, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर
2. शैल देवी महाविद्यालय, अण्डा, दुर्ग
3. सांदिपनी महाविद्यालय, ग्राम-अछोटी, जिला-दुर्ग

निर्णय : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बीए.-बी.एड., बी.एस.सी.-बी.एड.) के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार विमर्श के पश्चात् सभी संकायाध्यक्षों का अभिमत है कि प्रस्तावित इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में बी.एड. के साथ बी.ए. एवं बी.एस.-सी. का भी अध्यापन होगा, अतः उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति आवश्यक है। संबंधित संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग से NOC प्राप्त करने हेतु सूचित किया जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार बी.एड. पाठ्यक्रम 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/ विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) निरीक्षण समिति - 1. प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान 2. प्रो. एस.सी. नैथानी, बायोसाइंस अ.शा. 3. डॉ. (श्रीमती) एम. वाणी सुब्रमण्यम, प्राचार्य, भिलाई मैत्री महावि. भिलाई	बी.एड.	निरीक्षण तिथि :- 28.05.2015 The following members of the committee Constituted for the inspection of Mahavir Mahavidyalaya, Balod (Shri Jain Mandal Balod Association) in reference to B.Ed. Course, Visited the college on 28-5-15. The committee members found as per the norms and standard laid down by NCTE Regulation 2014, Clause 4, for B.Ed. degree in under construction and will be completed as per the affidavit submitted by December 2015. Hence, the committee recommend unanimously the NOC for B.Ed. course in the Mahavir Mahavidyalaya, Balod.	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3672/अका./वि.प.स्थायी समिति/2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 28/05/2015

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

(1)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 17-02/2015/38-2
प्रति,

रायपुर, दिनांक /01/2015

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:- आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट दतरेंगा, रायपुर द्वारा आदर्श महाविद्यालय दतरेंगा जिला-रायपुर (छ.ग.) वर्ष 2015-16 में नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति विषयक।

संदर्भ:- आपका जावक क्रमांक 27/आउशि/2015, दिनांक 08.01.2015.

-----00-----

राज्य शासन एतद् द्वारा आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट दतरेंगा, रायपुर द्वारा आदर्श महाविद्यालय दतरेंगा जिला-रायपुर (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2015-16 से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत निम्न विषयों के साथ अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01	बी.कॉम.	60 सीट
02	पी.जी.डी.सी.ए.	40 सीट
03	डी.सी.ए.	40 सीट

- 2/- उपरोक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-
1. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 पालन किया जावे।
 2. परिनियम 28 के अंतर्गत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की जावे।
 3. डीसीए, पीजीडीसीए पाठ्यक्रम से संबंधित रु. 1.5 लाख की पुस्तकें क्रय की जावे।
 4. नियमानुसार कायिक निधि एवं आवश्यक शुल्क जमा किया जावे।
 5. 60 नग कम्प्यूटर (लाइसेंस साफ्टवेयर सहित) क्रय की जावे।
 6. कंडिका 18 की पूर्ति की जावे।
 7. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त सम्बद्धता संबंधी शर्तों को पूर्ण करना महाविद्यालय का दायित्व होगा।
 8. समस्त शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत उच्च शिक्षा संचालनालय को की गई कार्यवाही से अनविर्य रूप से अवगत कराया जाये।
 9. बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावे।
 10. शासन के अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विषय का संचालन किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
 11. शासन द्वारा जारी किया गया आदेश शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए ही मान्य होगा।
- 3/- नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदान की गयी अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(1)

(राजेश सिंह राणा)
उपसचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
निरस्त

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 17-19/2015/38-2
प्रति,

रायपुर, दिनांक /01/2015

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:- श्री सिद्धी विनायक शिक्षण संघ राजनांदगांव द्वारा प्रस्तावित सी.आई.टी. कॉलेज, पार्ली नाला, जी.ई.रोड, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) वर्ष 2015-16 में नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति विषयक।

संदर्भ:- आपका जावक क्रमांक 72/आउशि/2015, दिनांक 12.01.2015.

-----00-----

राज्य शासन एतद् द्वारा श्री सिद्धी विनायक शिक्षण संघ राजनांदगांव द्वारा प्रस्तावित सी.आई.टी. कॉलेज, पार्ली नाला, जी.ई.रोड, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2015-16 से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत निम्न विषयों के साथ अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01	बी.बी.ए.	20 सीट
02	बी.एस-सी.	40 सीट
03.	बी.कॉम.	40 सीट


2/- उपरोक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 पालन किया जावे।
2. परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य सहित शिक्षकों की नियुक्ति की जावे।
3. नियमानुसार कायिक निधि एवं आवश्यक शुल्क जमा किया जावे।
4. कंडिका 18 की पूर्ति की जावे।
5. बी.कॉम. पाठ्यक्रम हेतु रु. 1.00 लाख, बी.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु रु. 1.00 लाख, बी.एस-सी. गणित/भौतिकी/रसायन हेतु रु. 1.50 लाख की पुस्तकें क्रय की जावे।
6. रु. 2.00 लाख के उपकरण विज्ञान प्रयोगशाला (भौतिकी व रसायन) हेतु क्रय किया जावे।
7. रु. 2.00 लाख की क्रीडासामग्री क्रय की जावे।
8. बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावे।
9. शासन के अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विषय का संचालन किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
10. शासन द्वारा जारी किया गया आदेश शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए ही मान्य होगा।

3/- नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदान की गयी अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार




(राजेश सिंह राणा)
उपसचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर.....

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 17-22/2015/38-2
प्रति,

रायपुर, दिनांक /01/2015

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर (छ0ग0)

विषय :- प्रगति सेवा समिति सरायपाली द्वारा प्रतिभा फूलझर कॉलेज, ग्राम-बालसी, तह.-सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.) में वर्ष 2015-16 से नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति विषयक।

संदर्भ :- आपका जावक क्रमांक 28/आउशि/2015, दिनांक 08.01.2015.

-----00-----

राज्य शासन एतद् द्वारा प्रगति सेवा समिति सरायपाली द्वारा प्रतिभा फूलझर कॉलेज, ग्राम-बालसी, तह.-सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2015-16 से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत निम्न विषयों के साथ अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	बी.कॉम.	60 सीट
02.	बी.कॉम. कंप्यूटर	30 सीट

2/- उपरोक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

01. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 पालन किया जावे।
 02. परिनियम 28 के अंतर्गत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जावे।
 03. संबंधित पाठ्यक्रमों की पुस्तकें रु. 2.00 लाख की पुस्तकें पृथक-पृथक क्रय की जावे।
 04. 30 नग कंप्यूटर (लाइसेंस साफ्टवेयर सहित) क्रय की जावे।
 05. नियमानुसार कायिक निधि एवं आवश्यक शुल्क जमा किया जावे।
 06. बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावे।
 07. कंडिका 18 की पूर्ति की जावे।
 08. शासन के अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विषय का संचालन किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
 09. शासन द्वारा जारी किया गया आदेश शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिये ही मान्य होगा।
- 3/- नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदान की गयी अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश सिंह राणा)

उप सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर.....



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 28.05.2015 में लिये गए निर्णय का पालन प्रतिवेदन।

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015 एवं 08.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015 एवं 08.05.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
02. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार बी.एड्. पाठ्यक्रम 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय निम्नानुसार है :-

बी.एड्.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	रामचण्डी महाविद्यालय सरायपाली बगाईजोर, सरायपाली, जिला-महासमुंद	बी.एड्.	निरीक्षण तिथि :- 23.05.2015 रामचण्डी महाविद्यालय सरायपाली का निरीक्षण किया गया। NCTE Regulation 2014 के संलग्न परिशिष्ट 4 के अर्हताओं को (बी.एड्. की कक्षाओं को प्रारंभ करने को) पूर्ण करता है। सत्र 2016-17 के लिये सम्बद्ध प्रपत्र संलग्न है। N.O.C. देने में कोई आपत्ति नहीं है। N.O.C. दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।	सत्र 2016-17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3682/1/Reg./2015 Dated 30-05-2015 जारी किया गया।				
2	रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पिथौरा (श्रम सृजन समाजसेवी संस्था)	बी.एड्.	निरीक्षण तिथि :- 23.05.2015 रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पिथौरा का निरीक्षण किया गया। NCTE Regulation 2014 के संलग्न परिशिष्ट 4 की अर्हताओं को (बी.एड्. हेतु 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु) पूर्ण करता है। N.O.C. दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।	सत्र 2016-17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3679/2/Reg./2015 Dated 29-05-2015 जारी किया गया।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
3.	विद्यापीठ कालेज, दुर्ग (दाऊ परमानंद अग्रवाल मेमोरियल) लक्ष्मीनारायण महाराज ट्रस्ट किला मंदिर दुर्ग	बी.एड.	निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015 The committee Constituted of the following member for the inspection of "Vidyapeeth" College (Dau Parmanand Agrawal Memorial), Durg for the approval of NOC for the B.Ed. Course scheduled for the academic session 2016-17, Visited the college on 25-5-15. The members inspected the College and found all the infrastructure as per the norms and standard laid down by NCTE Regulation 2014, Clause 4, adequate and satisfactory. Hence, the committee members unanimously recommend the NOC for B.Ed. course in "Vidyapeeth" College, Durg.	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3682 / 3/Reg./2015 Dated 30-05-2015 जारी किया गया।

4.	छत्तीसगढ़ कालेज ऑफ एजुकेशन, पी.एच. नं.-28, ग्राम-धनोरा, पो.-हनोद, दुर्ग (दुर्ग एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसायटी)	बी.एड.	निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015 The committee Constituted of the following member for the inspection of Chhattisgarh College of Education, Durg for the approval of NOC for the B.Ed. Course scheduled for the academic session 2016-17, Visited the college on 25-5-15. The members inspected the College and found all the necessary infrastructure as per the NCTE Regulation 2014, Clause 4, Norms and standard adequate and satisfactory. Hence, the committee members unanimously recommend the NOC for B.Ed. course in Chhattisgarh College of Education, Durg.	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
----	---	--------	---	--

पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3682 / 4/Reg./2015 Dated 30-05-2015 जारी किया गया।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/ विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
5.	सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुंठ, जिला-रायपुर	बी.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015</p> <p>Century Cement College in run by century Cement Company. It is located in the township of the Company. At present the College conducts PGDCA, BCA, B.Com., M.Com Now, the College has applied to conduct B.Ed. course for which the NOC is sought by the college. The visiting team constituted by Pt. Ravishankar Shukla University has visited and inspected the College on points of Annexure 4. The college wish to conduct the B.Ed. Course in the same building in which the other course are running. The preliminary observation of the team is that the college has sufficient rooms to conduct the program. For other infrastructure and amenitis, the Secretary of the society has given a declaration of assurance to fulfill the norms of standards of NCTE Regulations 2014.</p> <p>Based on the declaration, the committee suggest to permit the college to run B.Ed. course of one unit. Hance, NOC may be issued.</p>	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3682 / 2/Reg./2015 Dated 30-05-2015 जारी किया गया।				
6.	ए.व्ही.एस. प्रेसीडेन्सी इन्टरनेशनल कालेज, माना, रायपुर	बी.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015</p> <p>महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। बी.एड. हेतु भवन का निर्माण नहीं हुआ है। मात्र जमीन है। जिसमें भवन मार्च 2016 तक निर्माण किये जाने की बात शपथ पत्र में की गयी है। भवन ना होने के कारण समिति यह स्पष्ट अनुशंसा करती है कि बी.एड. हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं दिया जा सकता। क्योंकि NCTE Regulation 2014 के परिशिष्ट 4 की शर्तों को पूर्ण नहीं करता।</p>	31 मार्च, 2016 तक भवन निर्माण पूर्ण करने के लिए दिए गए शपथ पत्र के आधार पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3679 / 1/Reg./2015 Dated 29-05-2015 जारी किया गया।				

03. निम्नलिखित 3 महाविद्यालयों द्वारा बी.एड. के लिए अनापत्ति जारी किये जाने हेतु निरीक्षण संबंधि कार्यवाही नहीं की है -

1. मंगल दुबे मेमोरियल समिति डुंगाजी कालोनी, रायपुर (दि रेडियंट वे कालेज, रायपुर)
2. श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद)
3. श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति रायपुर

निर्णय : मंगल दुबे मेमोरियल समिति डुंगाजी कालोनी, रायपुर (दि रेडियंट वे कालेज, रायपुर) एवं श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति रायपुर महाविद्यालय द्वारा दिनांक 29 मई, 2015 तक निरीक्षण कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें प्रतिवेदन के आधार अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जा सकती है।

श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं अध्यक्ष के अनुमति से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पालन : मंगल दुबे मेमोरियल समिति डुंगाजी कालोनी, रायपुर (दि रेडियंट वे कालेज, रायपुर) एवं श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति रायपुर द्वारा आवेदन अप्राप्त है।

श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) को अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय के अनुसार पत्र जारी किया जा चुका है।

04. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार एम.एड. पाठ्यक्रम 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय निम्नानुसार है :-

एम.एड.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	एम.जे. कालेज, कोहका-जुनवानी रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग	एम.एड.	निरीक्षण तिथि :- 19.05.2015 With reference to university letter no. 3536/Acad/2015 dated 12-05-2015 the committee inspected the M.J. College on 19-05-2015 and observed the followings: 1. That the B.Ed. Course in the MJ College is continuing since 2006 and it has completed around nine years. 2. That B.Ed. course in this college is functioning in TWO units. List of teachers attached. 3. That College is accredited by NACC in B Grade (2.32) by 7 th meeting of standing Committee held on 11 th May 2015. (Copy Attached)	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
			<p>4. That B.Ed. Course in MJ College is affiliated to Pt. Ravishankar Shankar Shukla University since its inspection and at present it fulfils the necessary conditions. (For which principal has submitted an affidavit)</p> <p>5. That the MJ College fulfils the necessary infrastructure facilities, civic amenities, Labs, Resource centre etc to start M.Ed Programme. However the following deficiencies have yet to be removed:</p> <p>i. Books and journals as specified by NCTE for M.Ed programme has to be completed. Even though the principal informed that an order to purchase these books and journals has already been placed.</p> <p>ii. Arrangement of separate cabins for teachers is yet to be made. The principal informed and attached an undertaking that a big hall will be converted into cabins very soon.</p> <p>In view of the above observations the committee is of the opinion that NOC for the M.Ed. course may be given subject to further Inspection before the affiliation of M.Ed. Programme.</p>	
<p>पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3680 / 1/Reg./2015 Dated 29-05-2015 जारी किया गया।</p>				
2.	जी.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई, जिला-दुर्ग	एम.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015</p> <p>G.D. Rungta College is located in Kohka, Durg. The Visiting team constituted by Pt. Ravishankar Shukla University has visited the College and inspected the college for issue of NOC to conduct M.Ed. Program as per the new regulations of NCTE, 2014. The College has sufficient infrastructure to conduct M.Ed. Course. The Library has at present 5000 books and further subscribed another 1500 books exclusively for M.Ed. subscription bills for National and 3 international journals were enclosed. The College is presently running B.Ed. program which has separate classrooms, a multipurpose hall and other required infrastructure. The multipurpose hall will be shared for</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
			<p>both the B.Ed. and M.Ed. Programs. The College has applied for NAAC accreditation and the process is on. Hence there is no grade to mention till date.</p> <p>NOC may be issued by the University with a condition that the institute get a grade by NAAC before university gives affiliation to start M.Ed. course.</p>	
पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3680 / 2/Reg./2015 Dated 29-05-2015 जारी किया गया।				
3.	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई	एम.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 24.05.2015</p> <p>The committee visited Bhilai Mahavidyalaya on 24.05.2015 and inspected the college for M.Ed. course the College is running B.Ed. Course since 2009-10 session successfully.</p> <p>Facilities for proposed M.Ed. course are as per affidavit (enclosed). The College has sufficient infrastructure to conduct M.Ed. programme, provided college fulfils verdict mentioned in their affidavit.</p> <p>Committee recommends for the issue of NOC for M.Ed. course.</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3681 / 1/Reg./2015 Dated 30-05-2015 जारी किया गया।				
4.	ग्रेसियस कालेज आफ एजुकेशन, अभनपुर, जिला-रायपुर	एम.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015</p> <p>The Inspection committee comprised of Prof. R.P. Das, Prof. Bhagwant Singh & Prof. (Mrs.) M. Vani Subramaniam visited & Inspected the College at 11.30 a.m. on 25/5/2015.</p> <p>The committee observed that the college is running B.Ed. Course successfully.</p> <p>College is having regular faculties for B.Ed. Course.</p> <p>College is NAAC accredited.</p> <p>Fixed deposit of required amount is available in the college.</p> <p>Sufficient infrastructure is available.</p> <p>College has assured to develop other thing mentioned in the affidavit.</p> <p>Hence, committee recommends that the University may issue N.O.C. to start M.Ed. course w.e.f. 2016-17.</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3681 / 2/Reg./2015 Dated 30-05-2015 जारी किया गया।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
5.	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, आमापारा, रायपुर	एम.एड.	निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015 The committee inspected the Vipra College in 25-05-2015 for M.Ed. course. The college is running B.Ed. course since 2007 satisfactorily. The Facilities for proposed M.Ed. are partially available. Based on affidavit given by college Principal, committee recommends for the issue of NOC for M.Ed. course.	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3681/3/Reg./2015 Dated 30-05-2015 जारी किया गया।

6.	कांति दर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, कोसा नगर, भिलाई	एम.एड.	निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015 The committee consists of Prof. R.P. Das, Prof. Bhagwant Singh and Dr. M.Vani Subramaniam visited the college for issuing NOC to start M.Ed. Programme as per the New regulations of NCTE 2014. The college is running B.Ed. course, it is accredited by NAAC & has obtain B Grade. The college has construction area-5777 Square Mtr. Number of rooms required for Class Rooms for B.Ed and M.Ed. are existing as per NCTE norms FD worth Rs. 12 lacks are made by the college. However, There is no librarian appointed under college code 28. International Journals don't exist in Library. Journal purchased invoices were not shown. Invoices shown for purchase of books were not in the name of Kanti Darshan College. OHP & PA system were not installed in the seminar Hall but kept in sore room. Hence the committee recommends - NOC may be issued to the college subject to fulfillment of above deficiencies.	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
----	---	--------	---	--

पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3681/4/Reg./2015 Dated 30-05-2015 जारी किया गया।

05. कांप्लूएस कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव द्वारा नैक एक्कीडिशन के लिए आवेदन नहीं दिये जाने के कारण एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निरीक्षण करवाने में असमर्थता जाहिर की।

निर्णय : कांप्लूएस कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव द्वारा नैक एक्कीडिशन के लिए आवेदन नहीं दिये जाने के कारण एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए निरीक्षण निरस्त करने की सूचना ग्रहण की गई।

06. इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बीए.-बी.एड., बी.एस.सी.-बी.एड.) प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों के आवेदन के संबंध में विचार करना।

1. ग्रेसियस कालेज, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर
2. शैल देवी महाविद्यालय, अण्डा, दुर्ग
3. सांदिपनी महाविद्यालय, ग्राम-अछोटी, जिला-दुर्ग

निर्णय : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बीए.-बी.एड., बी.एस.सी.-बी.एड.) के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार विमर्श के पश्चात् सभी संकायाध्यक्षों का अभिमत है कि प्रस्तावित इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में बी.एड. के साथ बी.ए. एवं बी.एस-सी. का भी अध्यापन होगा, अतः उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति आवश्यक है। संबंधित संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग से NOC प्राप्त करने हेतु सूचित किया जावे।

पालन : उपरोक्त महाविद्यालयों को इस कार्यालय का पत्र क्र. 3761/अका./2015 दिनांक 06.06.2015 जारी किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार बी.एड. पाठ्यक्रम 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/ विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) निरीक्षण समिति - 1. प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान 2. प्रो. एस.सी. नैथानी, बायोसाइंस अ.शा. 3. डॉ. (श्रीमती) एम. वाणी सुब्रमण्यम, प्राचार्य, भिलाई मैत्री महावि. भिलाई	बी.एड.	निरीक्षण तिथि :- 28.05.2015 The following members of the committee Constituted for the inspection of Mahavir Mahavidyalaya, Balod (Shri Jain Mandal Balod Association) in reference to B.Ed. Course, Visited the college on 28-5-15. The committee members found as per the norms and standard laid down by NCTE Regulation 2014, Clause 4, for B.Ed. degree in under construction and will be completed as per the affidavit submitted by December 2015. Hence, the committee recommend unanimously the NOC for B.Ed. course in the Mahavir Mahavidyalaya, Balod.	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
पालन : अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. 3682/5/Reg./2015 Dated 30-05-2015 जारी किया गया।				

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 08.05.2015 में लिये गए निर्णय का पालन प्रतिवेदन।

01. विश्वविद्यालय रेगुलेशन क्र. 134 में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के API Score Calculator में रेगुलेशन 2009 के स्थान पर भारत शासन के राजपत्र दिनांक 13 जून 2013 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रेगुलेशन 2013 को अंगीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई।

पालन : कार्यवाही की जा रही है।

02. रेगुलेशन 149-I एम.एस-सी. कम्प्यूटर साइंस के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : रेगुलेशन 149-I एम.एस-सी. कम्प्यूटर साइंस Inclusion of Grade and credit points (CGPA) in marksheet of the students of PG courses under the Ordinance 149-I का अनुमोदन किया गया।

पालन : अधिसूचना क्र. 3764/अका./2015 रायपुर, दिनांक 09.06.2015 जारी की गई।


उप कुलसचिव (अका.)